न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कमाभाई पुत्र सुराभाई जाति रेबारी निवासी गोगामेडी,ताल्लुका (तहसील)भुज,जिला कच्छ(गुजरात) संचालक केटलकेम्प (ढोरवाडो) मीरजापर, ताल्लुक भुज जो जयराम भाई चेरीटेबल ट्रस्ट मीरजापुर के माध्यम से संचालित		राजस्थान सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सांचोर
प्रकरण विविध प्रा.प. संख्या		05/2020

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 7(2) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

उपस्थिति
1.श्री चुन्नीलाल पुरोहित वकील प्रार्थी
2.सहायक लोक अभियोजक जालोर अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 05.02.2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 7(2) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रस्तुत किया गया।जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस थाना सांचोर ने प्रार्थी के कब्जे से जयराम भाई चेरीटेबल ट्रस्ट,मीरजापर के माध्यम से प्रार्थी द्वारा संचालित केटलकैम्प मीरजापर ताल्लुका भुज जिला कच्छ (गुजरात) छःट्रको में परिवहन शुदा 60 सुआडी गायों एवं अन्य छःट्रको में परिवहन सुदा 67 बछडो को अनुसंधान प्रयोजनार्थ जब्त सरकार कर सक्षम प्राधिकारी का पुलिस द्वारा अतंरिम अभिरक्षा में सुपुर्दगी का वैधानिक आदेश प्राप्त किये बिना, गौशाला प्रतापपुरा तहसील सांचोर को अंतरिम अभिरक्षा में सुपुर्द कर रखी है। दिनांक 10.1.2020 से जब्तशुदा गाये व बछडे गौशाला प्रतापपुरा में बिना पर्याप्त चारा पानी एवं आवश्यक रखरखाव के अभाव में कुछ गाये व बछडे मर चुके है तो कई गाये बीमार हो गयी है। यदि उक्त गौशाला में जब्तशुदा गौवंश लम्बे समय तक अंतरिम अभिरक्षा में रही तो यह सभी गाये व बछडे काल के ग्रास में समा कर मर जायेंगे। उक्त जब्तशुदा गायें केटलकेम्प भिरजापुर (गुजरात) की अन्य कुल 395 गायों में से 339 गायें गुजरात के कच्छ जिला के तालुका भुज में वित्तीय वर्ष 2018–19 में अकाल की स्थिति में प्रार्थी के नेतृत्व में चराई प्रयोजनार्थ हरियाणा राज्य में लेकर गये थे।

जहॉ फरवरी–मार्च 2019 में धान व गेहूं कटाई के पश्चात् खेतों में धान व गेहू का चारा पर्याप्त मात्रा में फ्री उपलब्ध होने से ग्वालों के जरिये गायों को चराकर बचाया गया। इन्ही गायों में से जब्तशुदा 60 गायें मय 67 बछडों से पैदल लौटना दुरूह होने से इनको ट्रको में हरियाणा से भरकर गुजरात के मिरजापुर तालुका भुज के जयराम भाई चेरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से प्रार्थी द्वारा संचालित केटलकेम्प मिरजापर ले जाया जा रहा था। तथा बाखडी गाये पैदल पहुंच गयी। इस प्रकार प्रार्थी व इनके आदमियों द्वारा जब्तशुदा गौवंश किसी भी अवस्था में वध करने के प्रयोजन से अथवा व्यापार के प्रयोजन से परिवहन नहीं की जा रही थी। जैसा कि पुलिस अनुसंधान से भी यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है। तथा पुलिस द्वारा जब्तशुदा गौवंश राज्य का गौवंश भी नहीं है। ऐसी अवस्था में राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रकरण अनवान में एप्लीकेबल नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है। जब्तशुदा गौवंश को वर्ष 2018–19 में बचाने के प्रयोजनार्थ बाहर राज्य में ले जाने के आशय का मामलातदार (तहसीलदार) एवं कार्यपालक दण्डनायक भुज सिटी जिला कच्छ का प्रमाण पत्र दिनांक 21.1.2020 एवं मामलातदार भुज सिटी द्वारा प्रार्थी के केटलकेम्प मे पशु विवरणिका प्रयोजनार्थ जारी रजिस्टर को फोटो प्रति व अन्य दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त केटलकेम्प मिरजापर के उक्त गौवंश के चराई बाबत आहरित अनुदान राशि के विवरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों से यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि जब्तशुदा गायें केटलकेम्प मिरजापर प्रार्थी द्वारा संचालित केटलकेम्प के मालिकाना हकुक की गायें है। तथा हरियाणा राज्य में इन गायों के द्वारा ब्याने पर उक्त बछडे इन गायों के बच्चे है जिन्हे प्रार्थी को विधि अनुसार अंतिम अभिरक्षा में सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का कानूनीया अधिकार है। प्रकरण के पुलिस अनुसंधान में उक्त जब्तशुदा गायों व बछडों को अंतरिम अभिरक्षा में रोके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा न ही प्रार्थी के अलावा अन्य कोई दावेदार है। ऐसी अवस्था में राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित व विहित शर्तो के अधीन अंतिम अभिरक्षा में प्राप्ति का प्रार्थी को वैधानिक अधिकार है। प्रार्थी अंतिम अभिरक्षा बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने को तैयार व तत्पर है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद सुनवाई प्रार्थी का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 7(2) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना सांचोर द्वारा उपरोक्त अधिनियम में दर्ज शुदा सी. आर. नंबर 22/2020 में जब्तशुदा गाय व बछडे जो अंतरिम अभिरक्षा में गौशाला प्रतापपुरा (सांचोर) को सुपुर्द है, को प्रार्थी को विधिनुसार अंतिम अभिरक्षा में सुपुर्द कर छोडे जाने का कानूनी सलुक जारी फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थी की ओर से लोक अभियोजक जालोर ने पुलिस थाना सांचोर की केस डायरी कमांक 476 दिनांक 03.02.2020 पेश करने पर शामिल मिसल किया गया।तत्पश्चात दोनो पक्षो की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया कि उक्त जब्तशुदा गौवशं जयरामभाई चेरीटेबल ट्रस्ट मीरजापर के माध्यम से प्रार्थी द्वारा संचालित केटलकैम्प मीरजापर के है। प्रार्थी कमाभाई द्वारा संचालित उक्त संस्था द्वारा अकाल के समय में वर्ष 2018–19 में गायो को चराने हेतु हरियाणा राज्य में ले जाया गया था।जब्तशुदा गायो द्वारा हरियाणा में बछडो को जन्म देने की स्थिति में गुजरात तक लाने में समस्या होने से इन्हे बछडो सहित ट्रको द्वारा परिवहन कर गुजरात ले जाया जा रहा था।प्रार्थी द्वारा उक्त गौवंश किसी भी अवस्था में वध करने अथवा व्यापार के प्रयोजन से परिवहन नही किया जा रहा था।प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर भी जब्तशुदा गौवंश जयराम भाई चेरीटेबल ट्रस्ट मीरजापुर के माध्यम से संचालित केटलकेम्प मीरजापर के ही है।अतःप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7(2) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 को स्वीकार करवाते हुये जब्तशुदा गौवंश गायो व बछडो को अतिम अभिरक्षा में प्रार्थी को सुपुर्द करवाने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक जालोर द्वारा तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा जब्त किया गया गौवंश प्रतापपुरा गौशाला सांचोर में सुपुर्द किये हुये है।जहॉ पर चारे पानी की पर्याप्त व्यवस्था है।प्रार्थी द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7(2)के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा गौवंश को अन्तिम अभिरक्षा में प्राप्त करना चाहा है।जबकि उक्त अधिनियम में दर्ज सी. आर.नबंर 22 दिनांक 10.01.2020 से संबधित मुकदमा ए.सी.जे.एम कोर्ट सांचोर में अभी तक विचाराधीन है।उक्त वाद का अन्तिम निर्णय होने के बाद ही धारा 7(2) अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।मुकदमा के विचाराधीन रहते धारा 7(1) के अन्तर्गत कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने योग्य रहती है। धारा 7(1) अनुसार जब्तशुदा गौवंश पूर्व से ही गौशाला प्रतापपुरा सांचोर को सुपुर्दगी पर दिये हुये है।ऐसी अवस्था में धारा 7(1) पर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने योग्य नही रहने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया।जिसके अनुसार थानाधिकारी पी.एस सांचोर द्वारा सी. आर.नंबर 22/2020 में गायो व बछडो को जब्तकर श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला पथमेडा की शाखा प्रतापपुरा सांचोर को सुपुर्द किये

—sd/-

गये है।सी.आर.नबंर 22/2020 से संबंधित मुकदमा ए.सी.जे.एम कोर्ट सांचोर में अभी तक विचाराधीन है मुकदमा न्यायालय मे विचाराधीन रहते धारा 7(2) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जब्तशुदा गौवंशीय पशुओ को अन्तिम अभिरक्षा में प्रार्थी को सुपुर्द करने के प्रावधान नही है।साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 7(1)में वर्णित प्रावधानः—यह है कि जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गौवशीय पशु अभिगृहीत किये जाये तो अभिग्रहित किये गये गोवंशीय पशु की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओ के कल्याण के लिये कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक ऐजेन्सी को या राजस्थान गौशाला अधिनियम ,1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधो के अधीन शासित किसी गौशाला या किसी गोसदन को सौपी जा सकेगी।इस प्रकार धारा 7(1) अनुसार जब्तशुदा गौवशीय पशु, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उपबंधो के अधिन श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला पथमेडा की शाखा प्रतापपुरा सांचोर को पुलिस द्वारा सुपुर्दगी पर विधिसंम्मत दिये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वंय के पसन्द की जयरामभाई चेरीटेवल ट्रेस्ट मीरजापुर (गुजरात) के माध्यम से संचालित केटलकेम्प के संचालक को जब्तशुदा गौवंश अतिम अभिरक्षा में सुपुर्दगी पर चाहा गया है। जबकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी को इस स्टेज पर गौवंश अन्तिम अभिरक्षा में प्राप्त करने की अधिकारिता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7(1)(2) के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्न नही होने से खारिज किया जाता है।

-Sd-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 05.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-Sd-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर